राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(276)एमई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, दिनांक 22 JAN 2019

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर पे–मेट्रिक्स में लेवल 16 (67300–195000) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते है। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत है। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन भत्ते देय होगें :–

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ. हजारी लाल सैनी पुत्र श्री हरचन्द राम सैनी, मकान नं. 86, रैल नगर, किंग्स रोड़, पो0 श्याम नगर, जयपुर (राज.) –302019	R-02	04.12.1980	सामान्य	मेडिकल कॉलेज उदयपुर

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक / क–2 / 2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.15(7)वित्त / नियम / 97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम कमांक 13(1) वित्त / नियम / 2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक प. 6(5) वित्त / नियम / 2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो के तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आदेश से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(28)भर्ती / गोपनीय / 2014–15 / 296 दिनांक 07.09.2017, एफ 7(28)भर्ती'ख' / 2014–15 / 468 दिनांक 10.10.2017, एफ.7(28)भर्ती 'ख' / 2014–15 / 13 दिनांक 09.04.2018, एफ 7(28)भर्ती 'ख' / 2014–15 / 276 दिनांक 15.11.2018 एवं एफ 7(28)भर्ती 'ख' / 2014–15 / 296 दिनांक 29.11.2018 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
5. संबधित अभ्यर्थी को **रजिस्टर्ड डाक द्वारा**।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव